न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 1, बिजनौर।
सत्रपरीक्षण स0 562/ 2015,
सरकार बनाम सद्दाम आदि ,

मु0अप0सं0 97/ 2015,
धारा 302,307,506 भा0दं0सं0
थाना शेरकोट जिला बिजनौर।

15–05–2018

निस्तारण प्रार्थना पत्र ख–111 एवं आपत्ति ख–114:–

अभियुक्तगण रामफूल, भीम सिंह व दीपक की ओर से प्रार्थना पत्र ख–111 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में आरोपित अभियुक्तगण व धारा 319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत तलव किये गये अभियुक्तगण का एक साथ विचारण अनुमन्य है या नहीं।

उक्त प्रार्थना पत्र ख–111 के विरूद्ध वादी नजाकत हुसैन की ओर से आपत्ति ख–114 दाखिल की गयी है।

मैंने उक्त प्रार्थना पत्र ख–111 व आपत्ति ख–114 पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी नजाकत हुसैन के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थना पत्र ख–111 में अभियुक्तगण का कथन है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण रामफूल, भीम सिंह व दीपक के विरूद्ध मु0अप0सं0 97/2015 अन्तर्गत धारा 302,307,506 भा0दं0सं0 थाना शेरकोट जिला बिजनौर पंजीकृत किया गया था। परन्तु उपरान्त विवेचना प्रार्थी/अभियुक्तगण को निर्दोष पाया गया था तथा विवेचना दौरान यह ज्ञात हुआ था कि अपराध सद्दाम व अशोक सैनी द्वारा किया गया था तथा जिनके विरूद्ध न्यायालय में आरोप भी विरचित किया गया है। तदुपरान्त अभियोजन साक्षी नजाकत हुसैन व जब्बार के साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण/ अभियुक्तगण रामफूल, भीम सिंह व दीपक को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत तलव किया गया है। फलस्वरूप अब यह प्रश्नगत उत्पन्न होता है कि क्या आवेदकगण/ अभियुक्तगण का विचारण आरोपित अभियुक्तगण सद्दाम तथा अशोक के साथ किया जा सकता है या नहीं?

प्रार्थना पत्र ख–111 में यह भी कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी नजाकत हुसैन द्वारा इस कथन की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 17–07–2015 को करीब 9–30 बजे उसका लडका सद्दाम अपनी पत्नी श्रीमती शाहीन परवीन उर्फ शमा के साथ मोटर साईकिल से ईद की तैयारी की खरीदारी करके शेरकोट गांव आ रहे थे, जब गूलरवाली जोहडी के पास आये तो

गांव के ही रामफूल पुत्र शिखरचन्द, दीपक पुत्र रामफूल व भीम पुत्र टेकचन्द मिले और मोटर साईकिल रोककर दोनों को अपने हाथ में लिये तमन्चों से गोली मार दी, जिससे सद्दाम की पत्नी मौके पर मर गयी व सद्दाम गम्भीर रूप से घायल है। इस घटना को वादी के लडके समीर उर्फ नेता व शहनसॉ उर्फ राजा जो पीछे पीछे मोटर साईकिल से दूध बेचकर आ रहे थे, ने देखा।

जबकि उक्त प्रार्थना पत्र ख–111 के विरूद्ध आपत्ति ख–114 में वादी नजाकत हुसैन का कथन है कि प्रार्थना पत्र ख–111 मात्र मुकदमे में विलम्ब करने की नियत से दिया गया है। उनका यह भी कथन कि माननीय न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुल्जिमान को अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत प्रकरण में तलब किया गया है, जिसके विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिकायें खारिज की जा चुकी हैं। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में धारा 302/ 34,307/ 34 व 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप भी लगाये जा चुके हैं। आपत्ति ख–114 के पैरा सं0 –4 में मुख्य आपत्ति यह की गयी है कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा पहले भी प्रार्थना पत्र ख–35 इस आशय का प्रस्तुत किया गया था जो इस न्यायालय के पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांकित 21–01–2017 द्वारा खारिज किया जा चुका है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र ख–111 खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना पत्र ख–111 के पैरा सं0 15 में स्वयं आवेदकगण/अभियुक्तगण रामफूल, भीम सिंह व दीपक ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रश्नगत बिन्दु पर पहले भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

इस पत्रावली पर मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21–01–2017 उपलब्ध है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थना पत्र ख–35 खारिज किया है तथा इस आदेश दिनांकित 21–01–2017 में यह उल्लिखित है कि '' इस सत्र परीक्षण में इस स्तर पर यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या पूर्व में आरोपित अभियुक्तगण के साथ साथ तलव अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 का एक साथ विचारण किया जा सकता है? क्या पूर्व के आरोपित अभियक्तगण इन अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, इन अभियुक्तगण का विचारण आरोपित अभियुक्तगण सद्दाम व अशोक के साथ नहीं किया जा सकता है, इसलिये अभियुक्तगण रामफूल, दीपक व भीम ने कथित रूप से प्रार्थना पत्र उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है और स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।''

उक्त आदेश दिनांकित 21–01–2017 द्वारा आवेदक/

अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र ख–35 खारिज किया गया तथा इस न्यायालय के पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी ने निम्न आदेश पारित किया हैः–

''आदेश''

अभियुक्तगण रामफूल, दीपक व भीम की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ख–35 निराधार होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 24–01–2017 को आरोप विरचित किये जाने हेतु पेश हो अभियुक्तगण नियत तिथि पर उपस्थित रहें।''

अतः पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र ख–111 में समाहित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवेदकगण/ अभियुक्तगण ने पहले भी प्रार्थना पत्र ख–35 प्रस्तुत किया था, जो कि इस न्यायालय के पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 21–01–2017 द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा प्रस्तुत मामले में आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर आरोप भी लगाया जा चुका है। यदि आदेश दिनांकित 21–01–2017 से आवेदकगण विक्षुब्ध थे तो उक्त आदेश को समयावधि के भीतर चुनौती देने का विकल्प भी उपलब्ध था। अतः आवेदकगण/ अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत प्रश्नगत बिन्दुओं पर प्रार्थना पत्र ख–35 इस न्यायालय के पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांकित 21–01–2017 द्वारा खारिज किये जाने के प्रकाश में प्रार्थना पत्र ख–111 पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक 29–05–2018 को पेश हो।

(राजीव शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं01,
बिजनौर।